S.O. No. 23  Dated - 5th March, 2018 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) ( hereafter in this notification referred to as “the said Act”) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No. 45/2017- State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O 125, dated the 14th November, 2017, namely:-
In the said notification, -
(1) in the Table, -
   (a) against serial number 1, -
       (i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital”;

(ii) in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted.

(2) after the Table, the existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation 2. - For the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from 25th January, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: The principal notification No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O 125 dated the 14th November, 2017.
वाणिज्य-कर विभाग

------------------

अधिसूचना
28 फरवरी, 2018

अधिसूचना सं. 9/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ- 23 दिनांक 5 मार्च, 2018-- झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतिशिन पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर झारखंड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 45/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017 जिसे एस. ओ. 125, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,
(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“सरकार द्वारा दिल्ली पोस्टल कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय पौरुषों संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या कृत्रिम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हैं”

(ii) कॉलम 4 में, ‘विज्ञान और अनुसंधान विभाग’ शब्दों के स्थान पर ‘विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में, “विज्ञान और अनुसंधान विभाग” शब्दों के स्थान पर “विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उदेश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-III, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी. “.

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वाणिज्/जी०एस०ट०/05/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

कैसे के० खण्डलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को एस. ओ.125, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।